न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—121 / 2021 / 225 आर.टी.एक्ट (2021 / 121)

1. श्रीमती माया पुत्री रामकिशन उर्फ रामा पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी लसाडिया हाल निवासी जूनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र सवाईराम
2. रामरतन पुत्र सवाईराम
3. लादू पुत्र सवाईराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी लसाडिया हाल निवासी धूवालिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर।
5. उप—पंजीयक, केकड़ी जिला अजमेर।
6. कल्या पुत्री नारायण
7. भंवर पुत्र नारायण
8. मानी पुत्री नारायण
9. लादू पुत्र नारायण
10. रामकंवरी पुत्री नारायण
11. रामी पुत्री नारायण
12. गंगा पत्नी जगदीश
13. राजेन्द्र पुत्र जगदीश
14. सांवरा पुत्र जगदीश
15. गलोल पत्नी मांगीलाल
16. नन्दा पुत्र मांगीलाल
17. गोकल पुत्र जगन्नाथ
18. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
19. बद्री पुत्र जगन्नाथ
20. छीतर पुत्र देवा
21. इन्द्रा पुत्री मनीराम
22. गोगा पुत्री मनीराम
23. देवीलाल पुत्र मनीराम
24. नाथी पुत्री मनीराम
25. बच्छी पत्नी मनीराम
26. श्योजी पुत्र मनीराम जाति गुर्जर निवासी लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.04.2021 राजस्व वाद संख्या 109/2020

उपस्थितः–

1. श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 25 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–20.10.2022

1. यह अपील प्रकरण संख्या 109/2020 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के विरूद्ध दिनांक 16.04.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया दौराने प्रकरण अपीलांट द्वारा दिनांक 12.3.2021 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण आराजीयात का बेचान करने पर आमादा है इसलिए उन्हें पाबंद फरमाया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 8.4.2021 को पुनः बहस सुनी तत्पश्चात अपने निर्णय दिनांक 16.4.2021 के द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.4.2021 अत्यंत ही विचित्र तरीके से पारित किया गया है क्योंकि स्वयं उनके द्वारा अपने निर्णय के प्रथम पैरा में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तो उनकों प्रकरण को अन्य पक्षकारों की तामील एवं जवाब हेतु नियत करना चाहिए था जब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पर अंतिम बहस सुनी गई तो अंतिम निर्णय किस प्रकार पारित किया जा सकता था परंतु उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 रामाकिशन उर्फ रामा की पुत्री है जिस बाबत प्रार्थना पत्र में सजरा भी दर्शाया हुआ है जिसे बिना किसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा गलत मान लिया क्योंकि उनके द्वारा यह कहना कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जानकारी की जिसके अंदर राशन कार्ड में पिता का नाम रामजी लिखा है जबकि पत्रावली पर उक्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जबकि अपीलांट के पिता का नाम रामकिशन उर्फ रामजी है जिनके पिता का नाम सवाईराम है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा केवल विपक्षी के मौखिक कथनों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजीयात है जिस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा कहीं पर भी उक्त बिंदु को इंकार नहीं किया है एवं अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 1 की पुत्री है इसलिए अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही अधिकार है तथा वाद के विचाराधीन रहते हुए विपक्षीगण द्वारा आराजीयात का बेचान कर दिया गया या खुर्द बुर्द कर दिया गया तो वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा जिस बाबत अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रस्तुत धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा बहस सुनी गई किंतु उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र ही खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तो उनके द्वारा केवल मात्र उसी प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित करना चाहिए था। उक्त प्रकरण में सभी पक्षकारों की तामिल होना एवं जवाब आना शेष है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया जा सकता था इसलिए उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.4.2021 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 16.04.2021 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ने जो पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है वह ही गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 के कोई जायन्दा औलाद नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व पत्नी नोसर देवी ने नाता विवाह गोपाल गुर्जर निवासी दत्तोब से कर लिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादवर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में रिलीज कर दी है तथा खातेदार हक से दर्ज हो चुकी है तथा कब्जा भी उन्हीं का है। प्रार्थीया के पिता की वल्दियत भी रामजी के नाम से है।। अप्रार्थी संख्य I2 व 3 ने जानकारी दी जिसके अंदर राशनकार्ड में अपने पिता का नाम रामजी लिखा है। इस आराजीयात में जबरन हिस्से दिखाने के लिए अपने पिता का नाम बदलवा रही है जो गैर कानूनी है। प्रार्थीया खातेदार नहीं है, इसलिए लोकस स्टैण्डाई नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थीया को नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चे के खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0बीजे0 (27) 2020 पेज 62 से 66 श्रीमती सूरत कंवर बनाम श्रीमती रामकंवरी प्रस्तुत किया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.03.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बहस सुनने का अंकन कर रखा गया तथा आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. हेतु दिनांक 17.03.2021 को पेश होने की तारीख पेशी दी गई जबकि पत्रावली में सलंग्न प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत किया गया था। जब प्रार्थना पत्र ही दिनांक 12.03.2021 को पेश किया गया था तो दिनांक 03.03.2021 को किस प्रकार प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थीया की बिना बहस सुने ही कानूनी प्रावधानो के वाहर जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का निर्णय नही कर सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया जबकि पत्रावली उनके समक्ष अंतिम निर्णय हेतु नियत नही होकर पत्रावली जवाब व नोटिस में नियत थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं विधिक त्रुटि कारित की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 16.04.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 109/2020 में पारित आदेश 16.04.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो महत्वपूर्ण तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुतन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर